

संतकबीरनगर पुलिस



जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनॉक 12-07-2021

आज दिनांक 12.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य —

01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त नाम पता नौशाद अहमद पुत्र नासिर निवासी धोबी टोला काजीपुर कस्बा मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को रेलवे स्टेशन मोड़ मगहर तिराहा के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 467 / 2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी का विवरण-

1-01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर

2-01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ०नि० श्री हरिनारायण दीक्षित (प्रभारी चौकी मगहर), हे०का० विशेष्ठ नारायण श्रीवास्तव, हे०का० सुरेन सिंह, हे०का० आनन्द दूबे।











चोरी के मामले में वांछित अभियुक्त चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 51 / 2021 धारा 457 /380 / 411 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता राजकुमार पुत्र मोहरत निवासी मैलानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 06-07.01.2021 की रात्रि में वादी के दुकान का शटर तोड़कर उसमें रखे ए0टी0एम0 कार्ड, मोटरसाइकिल का रिजस्ट्रेशन पेपर, दुकान में रखे बीज व 35000 रुपये चोरी कर लिया गया था उक्त घटना के सबन्ध में वादी द्वारा दिनांक 22.01.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था उक्त घटना में वांछित अभियुक्त को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा चोरी किये गये एटीएम कार्ड व मोटरसाइकिल के रिजस्ट्रेशन पेपर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरमादगी-

- 1 01 अदद एटीएम कार्ड
- 2 01 अदद मोटर साइकिल का रजिस्ट्रेशन पेपर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

उ0नि0 श्री रजनीश कुमार राय (प्रभारी चौकी कलेक्ट्रेट), हे0कां0 गौतम यादव।









01 राशि गोवंशीय पशु व 01 अदद बोगदा व कार के साथ 01 गौतस्कर गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 राशि गोवंशीय पशु व 01 अदद बोगदा के साथ 01 अभियुक्त नाम पता साहेब आलम उर्फ सलाम पुत्र नसीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को छपिया छितौना से गिरफ्तार किया गया तथा इसका एक साथी असाद उर्फ दिलशाद निवासी छपिया छितौना थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। बरामद 01 राशि गोवंशीय पशु के सम्बन्ध में थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 211 / 21 धारा 3/5(A)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा 01 अदद बोगदा के सम्बन्ध में थाना दुधारा पर क्रमशः मु0अ0सं0 212 / 21 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट तथा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी-

- 1- 01 राशि गौवंशीय पशु
- 2- 01 अदद मारूती सुजकी 800 रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 51 जेड 6543।
- 3- 01 अदद बोगदा।

गिरफ्तारी टीम – उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री रामप्रवेश यादव, कां0 गणेश प्रसाद, कां0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह, कां0 अरविन्द यादव, कां0 विरेन्द्र रावत।





संतकबीरनगर पुलिस



शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना दुधारा खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना मह्ली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बिखरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2547 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत — पीआरवी 2547 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत कुसमा से इवेन्ट संख्या 09324 से कालर ने दो पक्षों के विवाद के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल 05 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना बखिरा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ -मु0आ0 श्रीकांत सिंह, आ0 रामनरेश यादव, हो0गा0चालक राकेश कन्नौजिया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 99 वाहनो से 86000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 99 वाहनों से 86000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

